

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक : आई-12/2009

दिनांक : 11-01-2010

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक

शमशाद चौधरी पावलीड रहूल

शरिका आर्टिन, इरशाद गार्डिन, सारिकाबाद, गाजियाबाद

विषय: अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक 12/09 दिनांक 08-12-09

रूपका तारोका विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुसार भारत की राष्ट्रीय अग्निशमन नियमन संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिये प्राविधानित अग्नि सुरक्षा के अनुरूप दिनांक 18-12-09 को शमशाद चौधरी पावलीड रहूल शरिका इरशाद गार्डिन, सारिकाबाद, गाजियाबाद का निरीक्षण संलग्न प्रमाण पत्र मानचित्र के अनुसार क किया गया। अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील पायी गयी।

11-01-10  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
पुष्प अग्नि शमन अधिकारी  
गाजियाबाद

कार्यालय सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड - 2 लो0नि0वि0 , गजियाबाद।

पत्रांक 46/1 ई०

दिनांक :- 18/2/2010

सेवा में,

प्रधानाचार्य  
शमशाद चौधरी पब्लिक स्कूल,  
ईरशाद गार्डन, पसीडा,  
गजियाबाद।


विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं० 483 / 2004 अवनीश बनाम यूनिघन ऑफ इण्डिया एवम् अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों में भवन - सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ण कराने के संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड - के विषय में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक शून्य दिनांक

महोदय,

लोक निर्माण विभाग द्वारा शमशाद चौधरी पब्लिक स्कूल, ईरशाद गार्डन, पसीडा, गजियाबाद का निरीक्षण किया गया। उक्त बिल्डिंग में आर०सी०सी० के बीम हैं व छत में भी आर०सी०सी० का प्रयोग हुआ है। अतः विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में निहित मानकों की दृष्टि से ठीक है।

अतः उक्त विद्यालय को नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2, लो० नि० वि०  
गजियाबाद -